इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 7 | फरवरी, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
पूंजी बाजार.....5
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....8
बाजार की खबरें.....8
हरित पहल.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

केंद्रीय बजट 2026-2027

वर्ष 2026-2027 का केंद्रीय बजट निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ अवसंरचना निवेश तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार को प्राथमिकता देते हुए, राजकोषीय समेकन के जरिए मैक्रोइकोनामिक स्थिरता पर फिर से बल देता है। घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा मानव पूंजी पर इसका ध्यान मौजूदा आर्थिक जरूरतों तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक प्राथमिकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। व्यवसाय करने की सुगमता तथा जीवन की सुगमता पर ज़ोर, करों के विवेकीकरण, सरलीकृत कर अनुपालन तथा संव्यवहार लागतों को कम करने और जीवन स्तर ऊंचा करने हेतु अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स तथा शहरी विकास को बेहतर करने हेतु पहलों से प्रकट होता है। तरक्की और विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट सार्वजनिक पूंजी व्यय को बढ़ावा देता है, विनिर्माण में अत्यधिक प्रभावशाली कार्यक्रमों को आगे ले जाता है, उच्च गति रेल व जल मार्गों से स्थानों को बेहतर ढंग से जोड़ता है। ये सब निवेश बढ़ाने, नौकरियों के तथा आर्थिक विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रौद्योगिकी तथा संधारणीयता में सोद्देश्य दखल हमें क्रमश: आत्मनिर्भर भारत की राह पर ले जाता है।

बजट तीन कर्तव्यों के गिर्द है: आर्थिक विकास को तेज करना, मानव क्षमता निर्माण तथा समावेशी विकास की सुनिश्चितता।

53,47,315 करोड़ रुपए के पूर्वानुमानित व्यय, 36,51,547 करोड़ रुपए की पूर्वानुमानित प्राप्तियों (उधार से इतर) तथा जीडीपी के 4.3% पूर्वानुमानित राजकोषीय घाटे के साथ; बजट राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी वृद्धि बनाए रखना चाहता है।

2026-2027 के बजट की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र
  - विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है।
  - विकसित भारत हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विजन, ऋण संवितरण तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण के स्पष्ट लक्ष्यों सहित निर्धारित किया गया है।
  - 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के नगरपालिक बांड के एकल निर्गम हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जारी रहेगी।
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) (गैर-कर्ज़ लिखत) नियमों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
  - कॉर्पोरेट बांड पर मार्केट मेकिंग ढांचा तथा कुल प्रतिफल स्वैप शुरू किया जाएगा।
  - फ्यूचर्स और आप्शंस प्रीमियम पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) क्रमश: 0.05% तथा 0.15% किया जाएगा।
  - भारत से बाहर रहने वाले निवासी व्यक्तियों को भारतीय इक्विटी में निवेश करने की अनुमति होगी, जिससे निवेशक आधार का विस्तार होगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई): 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई ग्रोथ निधि का प्रस्ताव है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के जरिए एमएसएमई को चलनिधि सहायता।
- 2026-2027 के बजट आकलनों में कर्ज-जीडीपी अनुपात जीडीपी के 55.6% होने का पूर्वानुमान है। सरकार का प्रस्ताव कर्ज-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2025-2026 के 56.11% (संशोधित आकलन) से कम कर वित्त वर्ष 2026-2027 में 55.6% करना है।
- नवीन आय कर अधिनियम, 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
- सभी गैर-निवासियों, जो पूर्वानुमानित आधार पर कर चुकाते हैं, के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
- सॉवरेन स्वर्ण बांड पर पूंजीगत लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में पात्र विनिर्माण कंपनियों द्वारा घरेलू चुंगी क्षेत्र को रियायती ड्यूटी दर पर बिक्री को सुगम बनाने हेतु विशेष एकबारगी उपाय किया जाएगा।

- समर्पित रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी) तथा अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- खनन, प्रासेसिंग, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु समर्पित रेअर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।
- पर्यावरण रक्षा हेतु कदम: 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित कार्बन कैप्चर उपयोग तथा भंडारण को अपनाने की योजना (सीसीयूएस) का प्रस्ताव किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का एकीकरण।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का प्रस्ताव किया गया है।
- 200 लीगेसी औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित करने की योजना लाई गई है।
- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन: बांडेड जोन में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएँ, उपकरण या टूलिंग प्रदान करने वाले अनिवासियों को पाँच वर्ष तक आय कर से छूट।
- 'शिक्षा से रोजगार तथा उद्यम' पर उच्च शक्ति वाली स्थायी समिति सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- पाँच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की जाएगी।

एकीकृत लोकपाल योजना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन से शीघ्रतर समाधान मिलेगा

संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना 1 जुलाई, 2026 से कार्यान्वित होगी जिसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों हेतु किफ़ायती, तीव्र और गैर-विरोधी वैकल्पिक शिकायत समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराना है। किसी विनियमित संस्था द्वारा चूक के कृत्य जिसका परिणाम सेवा में चूक हो, से व्यथित कोई ग्राहक व्यक्तिगत रूप से अथवा एक अधिकृत व्यक्ति के जरिए योजनांतर्गत शिकायत दायर कर सकता है। शिकायतें बैंकिंग विधि और व्यवहार के सिद्धांतों तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों अथवा विनियमों के अनुसार प्राप्त और हल की जाएंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल के पास शिकायत की जांच करने तथा शिकायत बंद करने की शक्ति होगी। जनहित में, भारतीय रिज़र्व बैंक योजनांतर्गत कार्यप्रणाली तथा कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत उठाए गए दो कदमों से एमएसएमई निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के अंतर्गत दो मुख्य कदम उठाए गए हैं। एक ब्याज की छूट है जो पात्र कर्ज प्रदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए लदान-पूर्व और पश्चात् रुपया निर्यात ऋणों पर दी जाएगी। दूसरा, निर्यात ऋणों हेतु सीजीटीएमएसई के साथ भागीदारी में शुरू किया गया संपार्श्विक गारंटी समर्थन है। सूक्ष्म तथा लघु निर्यातकों को 85% तक का, मध्यम निर्यातकों को 65% तक का गारंटी कवर मिलेगा, जिनमें अधिकतम बकाया गारंटीड एक्सपोजर एक वित्त वर्ष में प्रति निर्यातक 10 करोड़ रुपए होगा। एक अन्य योजना बाजार सुगम्यता सहायता (एमएएस), जो क्रेताओं से बेहतर जुड़ाव पर केंद्रित है, में समर्थित कार्यक्रमों के लिए एमएसएमई की न्यूनतम 35% भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है।

साइबर सुरक्षा हेतु पीएफआरडीए द्वारा अद्यतन दिशानिर्देश जारी

अप्रैल 2020 में जारी दिशानिर्देशों के ऊपर अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सभी मध्यस्थों तथा विनियमित संस्थाओं नामत: संपर्क केन्द्रों, अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं तथा गैर-व्यैक्तिक सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे प्राधिकरण को साइबर घटनाओं की रिपोर्ट, घटना होने के छ: घंटे के भीतर ई-मेल से करें और रिपोर्ट CERT-In को भी भेजें। अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताओं में साइबर घटनाओं पर उपचारात्मक कार्यवाही के विवरण सहित तिमाही रिपोर्टें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना शामिल है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा सीमापार गारंटियों के संचालन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और अधिक पारदर्शी तथा एकरूप बनाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों हेतु गारंटियाँ जारी करने, संशोधित करने तथा आहूत करने के लिए व्यवस्था शुरू की है। भारत में निवासी व्यक्ति जो लेनदार हो, शर्तों के अधीन, अपने पक्ष में गारंटी का इंतजाम कर सकता है या गारंटी ले सकता है। जारी, संशोधित या आहूत की गई सभी गारंटियों को विस्तृत रूप से रिपोर्ट किया जाएगा, जैसा अधिदेशित है।

निर्यातकों तथा आयातकों की सहायता करने हेतु अधिकृत डीलरों (एडी) के सशक्तीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एक अधिकृत डीलर निर्यात की आय अथवा आयात के भुगतान के लिए निर्यातक या आयातक के खाते में जमा या नामे, संव्यवहार की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने के बाद ही करेगा। साथ-साथ अधिकृत डीलर निर्यात डेटा प्रासेसिंग और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) अथवा आयात डेटा प्रासेसिंग और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) में संबंधित प्रविष्टि को बंद या अद्यतन करेगा। अधिकृत डीलर उसी ओवरसीज क्रेता या आपूर्तिकर्ता से/को या उसके ओवरसीज समूह या सहयोगी कंपनी को, निर्यात प्राप्तियों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि, यदि लागू हो, के भीतर आयात देयों के समक्ष निर्यात प्राप्तियों के समंजन की अनुमति दे सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों के सीआरआर तथा एसएलआर पर दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधन जारी किए हैं: संबंधित प्रावधानों में 'अन्य विकास वित्त संस्थाओं' को स्पष्टत: शामिल करना; 'कैश इन हैंड' अंतर्गत खास पदावली को हटा कर रिपोर्टिंग का विवेकीकरण; सांविधिक फार्मों को अद्यतन करना ताकि विकास वित्त संस्थाओं की विस्तारित सूची द्रष्टव्य हो और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) योजना के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी राशियों हेतु एक नई रिपोर्टिंग मद शुरू करना।

किसानों को अल्पावधि ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को भारतीय रिज़र्व बैंक जारी रखेगा

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए किसानों द्वारा लिए गए अल्पावधि ऋणों पर संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रखा जा रहा है। ये ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। छूट पाने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से उधार लेना होगा। कर्जदाताओं को भी 1.50% की ब्याज सहायता मिलेगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

पूंजीगत तथा जोखिम मानकों का ध्यान रखते हुए पीएसएल निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (पीएसएल) पर निदेशों में संशोधन किया है। तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसी अंतर्निहित ऋण एक्सपोजर को प्रवर्तक बैंक तथा मध्यस्थ दोनों के द्वारा यथा पीएसएल नहीं दावा किया गया है, के लिए बैंकों को बाह्य लेखापरीक्षकों से प्रमाणन लेना होगा। लघु वित्त बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 75% से समायोजित कर 60% किया गया है। कृषि तथा एमएसएमई को निर्यात ऋण भी पीएसएल की संबंधित श्रेणियों में तथा इनमें वर्णित कुल सीमाओं के अधीन यथा पीएसएल वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने हेतु बैंक सह-उधार व्यवस्थाओं में शामिल हो सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संबद्ध पक्षकार ऋणों पर निगरानी सख्त कर दी गई है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणों के लिए एकल संव्यवहार स्तरीय मटेरियलिटी न्यूनतम सीमा निर्धारित की है। 10 लाख रुपए से अधिक की आस्तियों (अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार) वाले बैंकों के लिए मटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड की उच्चतम सीमा 25 करोड़ रुपए रखी गई है। 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आस्तियों वाले बैंकों के लिए उच्चतम सीमा 10 करोड़ रुपए होगी जबकि 1 लाख रुपए से कम की आस्ति वाले बैंकों के लिए उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपए होगी। इस थ्रेशहोल्ड से अधिक के ऋणों के लिए बैंक के बोर्ड अथवा एक समर्पित समिति का अनुमोदन चाहिए होगा।

'उच्च-गुणवत्ता अवसंरचना परियोजनाओं' को कर्ज के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को जारी संशोधित निदेशों के अनुसार, केवल उसी कर्ज को 'उच्च-गुणवत्ता अवसंरचना परियोजनाओं' को कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि: अवसंरचना परियोजना कर्जदाताओं द्वारा निर्धारित ठोस नियमों का

उल्लंघन किए बगैर, वाणिज्यिक परिचालन पूरा करने की तिथि के बाद न्यूनतम एक वर्ष का परिचालन पूरा कर चुकी है; कर्जदाता की बहियों में एक्सपोजर यथा 'मानक' वर्गीकृत है; कार्यशील पूंजी की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं और कर्जदाता के आकलन के अनुसार अन्य निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋणी के पास पर्याप्त आंतरिक या बाह्य वित्तीय व्यवस्था है; ऋणी को कर्जदाता के हित के विरुद्ध कार्य करने की मनाही है। साथ ही, उच्च-गुणवत्ता अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले एनबीएफसी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है।

पूंजी बाजार

सेबी ने इक्विटी नकद बाजार स्टॉक के लिए सीएएस शुरू किया है

बाजार बंद होने पर मूल्य जानने को पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने हेतु, सेबी ने इक्विटी नकद खंड में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र (सीएएस) नामक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके जरिए, सेबी खुद को वैश्विक प्रथाओं से जोड़ेगा, जिनमें बाजार बंद होने पर मूल्य, ऑक्शन व्यवस्था से जाना जाता है। शुरू में, यह डेरिवेटिव संविदा वाले नकद बाजार स्टॉक मात्र के लिए लागू होगा।

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को जोड़ना स्वागत-एफआई के जरिए आसान बना दिया है

भरोसेमंद विदेशी निवेशकों हेतु एकल खिड़की स्वचालित एवं सामान्यीकृत पहुँच के लिए ऑनबोर्डिंग तथा निरंतर अनुपालन आसान करने के लिए सेबी ने विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) तथा निर्दिष्ट डिपॉजिटरी सहभागियों (डीडीपी) के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। यदि वही अभिरक्षक और डीडीपी दोनों पंजीकरणों के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो एक पात्र स्वागत-एफआई एफवीसीआई आवेदक एफवीसीआई पंजीकरण के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र या समर्थक दस्तावेज़ दायर किए बगैर आवेदन कर सकते हैं।

स्टॉक ब्रोकरों के लिए सेबी ने तकनीकी बाधा ढांचे में ढील दे दी है

स्टॉक ब्रोकरों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली में तकनीकी बाधाओं से निबटने हेतु सेबी ढांचा लेकर आया है। ढाँचे जो 10,000 से अधिक पंजीकृत क्लाइंट वाले ब्रोकरों मात्र पर लागू होगा, के तहत वे तकनीकी बाधाएँ जो स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के बाहर हैं, बाधाएँ जो ट्रेडिंग कार्य को सीधे प्रभावित नहीं करतीं और जिनका नगण्य प्रभाव होता है, को तकनीकी बाधा ढांचे से बाहर रखा गया है। रिपोर्टिंग अपेक्षाओं में भी राहत दी गई है।

विनियामक के कथन

विनियम तकनीक-तटस्थ होने चाहिए; जवाबदेही व्यक्तिपरक होनी चाहिए: गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय परिदृश्य पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के हावी होने तथा विनियमित संस्थाओं के परिचालनों को पुनर्परिभाषित करने के साथ, विनियामक के विनियम तथा पर्यवेक्षण अनिवार्यत: जोखिम आधारित, आनुपातिक तथा प्रौद्योगिकी तटस्थ होने चाहिए। प्रौद्योगिकी आवश्यक रूप से, अनुपालन को समाहित करे, नजरंदाज नहीं करे। जवाबदेही व्यक्तियों पर ही होनी चाहिए। स्वचालन से जवाबदेही को ढीला नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे और प्रखर होना चाहिए। डिजिटलीकरण तथा नवोन्मेष उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से निष्पक्ष परिणाम देने वाले होने चाहिए ।

आज के डिजिटल बैंकिंग युग में अनुपालन, अन्य पक्ष व्यवस्थाओं तथा कृत्रिम मेधा पर कड़ी नजर रखना जरूरी: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने पर्यवेक्षित संस्थाओं से तीन अपेक्षाओं का जिक्र किया। ये तीन अपेक्षाएँ हैं: **अनुपालन**: तीव्रतर व्यवसाय और जोखिम चक्र पूरे वर्ष निरंतर परिचालन अनुशासन और मजबूत डेटा अभिशासन की मांग करते हैं। **अन्य पक्ष व्यवस्थाएँ**: अन्य पक्ष व्यवस्थाओं पर निर्भरता भागीदारों की बेहतर निगरानी, घटनाओं हेतु बढ़ी जवाबदेही के साथ होनी चाहिए। **कृत्रिम मेधा और अनलिटिक्स के**

उपयोग का विस्तार करना: चूंकि बैंकिंग कार्यों में अनलिटिक्स और कृत्रिम मेधा का उपयोग बढ़ रहा है, बैंकों को मॉडल जोखिम, एक्सप्लेनेबिलिटी और निष्पक्षता पर अधिक गहन पर्यवेक्षी प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्ययोजन (जीवीए) में वित्तवर्ष 26 में क्रमश: 7.4% तथा 7.3% की वृद्धि हो सकती है।
- बैंकों के पास सकल जमाराशियों में वृद्धि से व्यापक धन वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 9% से बढ़ कर 12.1% हो गई है।
- दिसंबर 2025 में धन गुणक एक वर्ष पूर्व के 5.70 से बढ़ कर 6.21 हो गया है।
- वित्तवर्ष 26 में सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया तथा निवल एनपीए रिकॉर्ड न्यून स्तर पर पहुँच गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2025 में 17.2% के मजबूत स्तर पर रहा।
- वित्तवर्ष 25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर उपरांत लाभ 16.9% बढ़ा तथा सितंबर 2025 की स्थिति अनुसार वर्षवार 3.8% बढ़ा। सितंबर 2025 में इक्विटी पर प्रतिफल 12.5% तथा आस्तियों पर प्रतिफल 1.3% रहा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण दिसंबर 2024 के 11.2% के समक्ष दिसंबर 2025 में वर्षानुवर्ष बढ़कर 14.5% हो गया।
- नवंबर 2025 में एमएसएमई ऋणों में 21.8% की वृद्धि हुई जिसमें सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों में वृद्धि नवंबर 2025 में वर्षानुवर्ष 24.6% रही, जो नवंबर 2024 के 10.2% से ज्यादा है।
- यथा दिसंबर 2025, प्राथमिक बाज़ारों से जुटाया गया कुल संसाधन 10.7 लाख करोड़ रुपए रहा।
- वार्षिक घरेलू वित्तीय बचतों में इक्विटी और म्यूचुअल फंड का हिस्सा वित्तवर्ष 12 के 2% से बढ़ाकर वित्तवर्ष 25 में 15.2% हो गया।
- प्रतिभूति बाजार कोड 2025 के द्वारा प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम, 1956; सेबी अधिनियम, 1992 तथा डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 को रद्द और प्रतिस्थापित कर भारत के प्रतिभूति बाजार के क़ानूनों को एकल ढांचे में समेकित किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का फ्री-एआई: वित्तीय विनियमों और संस्थाओं के लिए कृत्रिम मेधा के जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इसकी ताकत का उपयोग करने हेतु संरचनात्मक दृष्टिकोण।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार

मद	यथा 30 जनवरी, 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6657540	723774
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5173119	562392
1.2 स्वर्ण	1266470	137683
1.3 एसडीआर	174333	18953
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	43619	4746

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

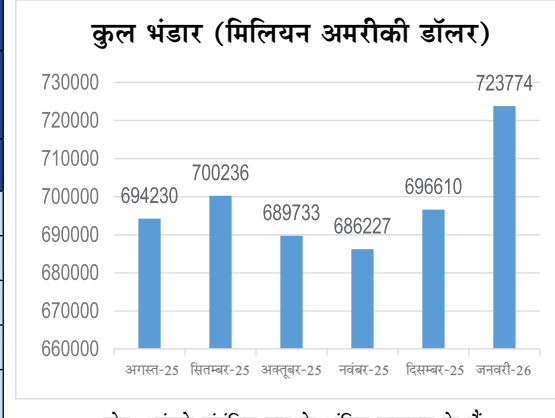

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 30 जनवरी 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, फरवरी 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.64
SONIA (जीबीपी)	3.7248
STR (यूरो)	1.933
TONA (जापानी येन)	0.727
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.2700
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.060037

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.669
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.2136
HONIA (हांगकांग डॉलर)	1.60783
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5070

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (Foreign Venture Capital Investor)

विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक से आशय भारत से बाहर निगमित और स्थापित निवेशक से है, जो विनियमों के तहत पंजीकृत है तथा विनियमों के अनुरूप निवेश करने का प्रस्ताव रखता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

टॉबिन का क्यू अनुपात

टॉबिन का क्यू अनुपात अथवा क्यू अनुपात एक भौतिक आस्ति के बाजार मूल्य तथा इसके प्रतिस्थापन मूल्य के बीच अनुपात है। अनुपात का उपयोग एकल कंपनी और यहाँ तक कि पूरे स्टॉक मार्केट के मूल्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है। यदि अनुपात 1 से अधिक है, तो एक कंपनी का बाजार मूल्य इसकी बुक्ड आस्तियों से अधिक होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी 2026 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
बैंकिंग में साइबर दृढ़ता: आईटी जोखिम तथा वित्तीय अपराध रोकने में मास्टरी पर कार्यक्रम	12-13 फरवरी, 2026	वर्चुअल
आईटी तथा साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	12-13 फरवरी, 2026	वर्चुअल
परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर कार्यक्रम	16-18 फरवरी, 2026	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
बैंकिंग में अनुपालन पर कार्यक्रम	18-19 फरवरी, 2026	वर्चुअल
बिजनेस अनलिटिक्स, मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा तथा बैंकों में इसके प्रभाव पर कार्यक्रम	18-20 फरवरी, 2026	वर्चुअल
बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	23-24 फरवरी, 2026	वर्चुअल
बैंकों हेतु अनुशासन प्रबंधन, अन्वेषण और अनुशासनिक कृत्य/कार्यवाही पर कार्यक्रम	25-27 फरवरी, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

'बजट और बैंक: विकसित भारत के लिए आगे राह' पर वेबिनार

आईआईबीएफ ने 06 फरवरी, 2026 को 'बजट और बैंक: विकसित भारत के लिए आगे राह' पर वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में वक्ता भारतीय स्टेट बैंक के समूह प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कान्ति घोष थे। व्याख्यान में बड़ी संख्या में बैंकर उपस्थित थे। व्याख्यान को काफी सराहा गया।

अंतर बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य का 5वां संस्करण

आईआईबीएफ द्वारा अंतर बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य 2025 के महा फाइनल का आयोजन मुंबई में 17 जनवरी, 2026 को किया गया। 'भारतीय रिज़र्व बैंक' की टीम ने चैंपियन बन कर 1,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार जीता।

आईआईबीएफ द्वारा माइक्रो, मैक्रो रिसर्च तथा डायमंड जुबिली और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (डीजेसीएचबीबीओआरएफ) 2025-26 अंतर्गत पेपर/प्रस्ताव आमंत्रित

आईआईबीएफ ने माइक्रो और मैक्रो रिसर्च तथा डायमंड जुबिली और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (डीजेसीएचबीबीओआरएफ) 2025-26 अंतर्गत पेपर/प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2026 है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

जनवरी-मार्च 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय है - 'भुगतान प्रणालियों की नई राहे'। उप-विषय हैं - यूपीआई, यूएलआई, सीबीडीसी-चुनौतियाँ, अवसर तथा संभावनाएं, साइबर सुरक्षा।

बाजार की खबरें

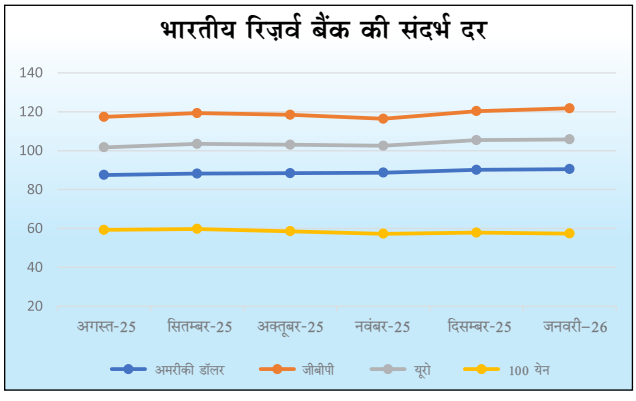

स्रोत: एफबीआईएल

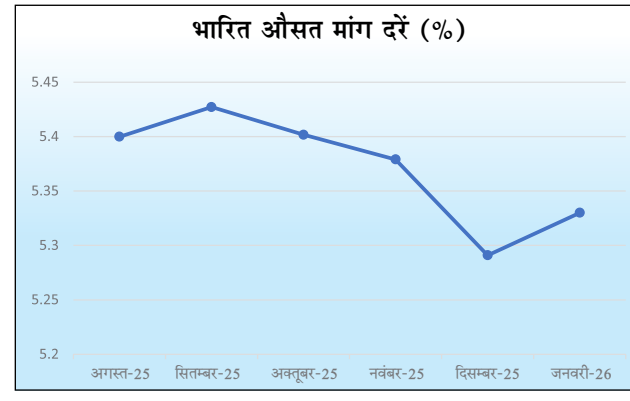

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

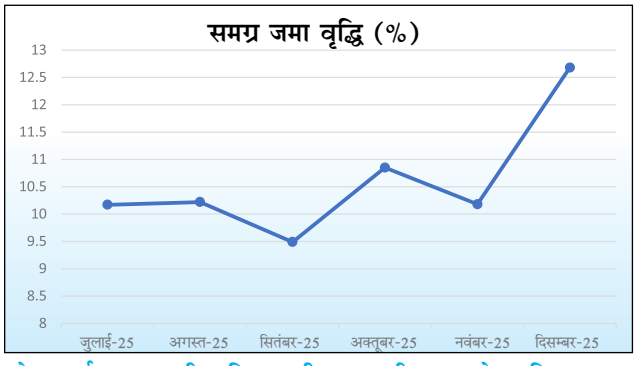

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी 2025

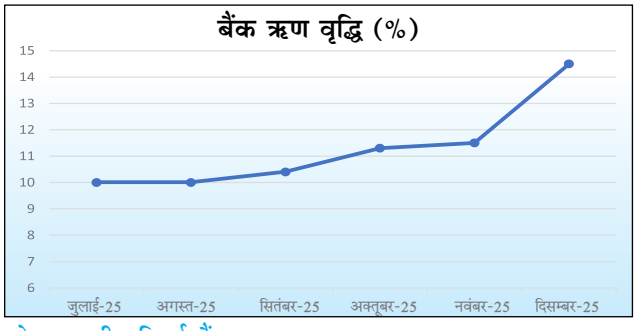

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

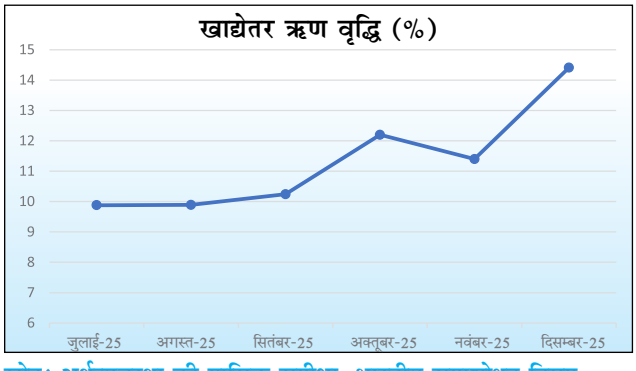

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी 2025

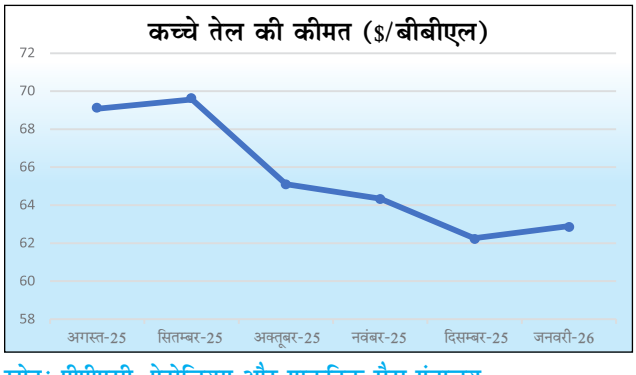

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

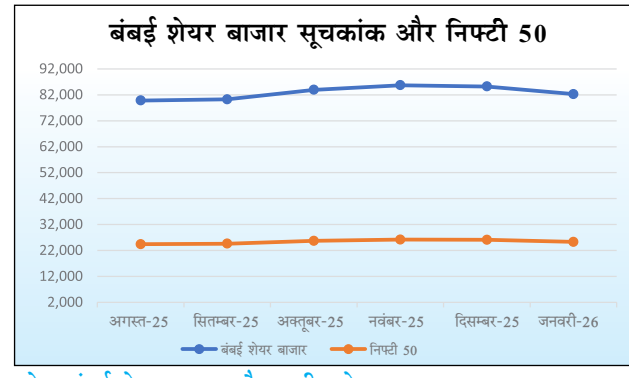

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

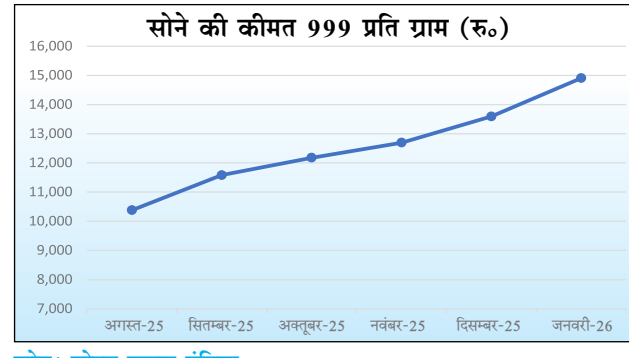

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ। इन मुद्दों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

हरित पहल

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues(I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N.M. Joshi marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in